फाइल संख्या 16/06/2016-इनफ्रा-1
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
इनफ्रा-I अनुभाग
***

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 6 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत में आईसीडी, सीएफएस और एएफएस की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल, 2016 को 11:00 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का हवाला देने तथा अनुशीलन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 27 अप्रैल, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(बी प्रवीण)
निदेशक (इनफ्रास्ट्रक्चर)
टेलीफोन नंबर : 23062704
फैक्स : 23063418

सेवा में,

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड {श्री एल सत्या श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)}, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23093475, ईमेल : jscus@nic.in,
2. रेल मंत्रालय {श्री अजय बहेरा, कार्यपालक निदेशक (टीटीएस)}, रेल भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23303668 और 23383506, ईमेल : edtts@rb.railnet.gov.in,
3. पोत परिवहन मंत्रालय {प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव (पत्तन)}, पोत परिवहन विभाग, परिवहन भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23328549, ईमेल : js-ports @nic.in,
4. नागर विमानन मंत्रालय (डा. रीना सेठी, उप सचिव), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली, टेलीफोन नंबर : 24629322, ईमेल : reena.sethi@nic.in
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड {ध्यानाकर्षण : श्री जुबेर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)}, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, ईमेल : dircus@nic.in फैक्स : 23092173

प्रति प्रेषित : विशेष सचिव (एकेबी) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव (एससी) के निजी सचिव / निदेशक (बीपी) के निजी सचिव

वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-I अनुभाग

*****

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

भारत में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 27 अप्रैल, 2016 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
2. श्री ए के बेहरा, कार्यपालक (टीटीएस), रेल मंत्रालय
3. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) वाणिज्य विभाग
4. श्री जुबैर रियाज, निदेशक, सीबीईसी, राजस्व विभाग
5. डॉ. रीना सेट्ठी, उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
6. सुश्री कंचन बाला हमजा, अवर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय
7. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, इनफ्रा-I वाणिज्य विभाग
8. श्री एम रामा प्रताप, अनुभाग अधिकारी, इनफ्रा-I अनुभाग

2. चर्चा शुरू करते हुए आईएमसी के अध्यक्ष ने आईएमसी के पिछले निर्णय को दोहराया कि जिन मामलों में आईएमसी संबंधित मंत्रालय की आईएमसी के सदस्य की सैद्धांतिक लंबित औपचारिक टिप्पणियों से सहमत है उनको आईएमसी की अगली बैठक की प्रतीक्षा के बगैर औपचारिक टिप्पणियों की प्राप्ति पर प्रोसेस किया जा सकता है और फाइल पर क्लियर किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि पुष्टि के लिए यह आईएमसी की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. नाम / स्वामित्व में परिवर्तन के मामलों को हैंडल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। आईसीडी / सीएफएस / एएफएस से संबंधित मामलों से निपटने पर अध्यक्ष द्वारा आईएमसी के सदस्यों से राय मांगी गई जो क्रियाशील हैं क्योंकि यह कस्टम बांडेड एरिया है और सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारीय आयुक्त के अंतर्गत आता है जिनको बड़ी भूमिका निभानी है। अगली बैठक में विचार करने के लिए इस विषय पर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 अप्रैल 2016 के माध्यम से वाणिज्य विभाग द्वारा भेजे गए संदर्भ पर सदस्यों से टिप्पणियां प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया।

4. आईएमसी ने निर्णय लिया कि जारी किए जाने वाले सभी मंशा पत्रों में यह खंड शामिल किया जाएगा कि यह विकासक द्वारा यथा प्रस्तुत भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र / भूमि दस्तावेजों में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के अधीन होगा।

यह आईएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पुष्टि के सभी चार मामलों पर भी लागू

होगा।

5. नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि मौजूदा आईसीडी / सीएफएस के समानांतर एएफएस की स्थापना के लिए उदार दृष्टिकोण की तलाश की जा सकती है। इस संदर्भ में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से नीतिगत मुद्दे के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन के प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह कि इस बारे में शीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी।

6. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने आईएमसी आनलाइन आवेदन के संबंध में हुई प्रगति पर आईएमसी के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया। अध्यक्ष ने आईएमसी के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट / सुझावों के अनुसार वाणिज्य विभाग द्वारा आईएमसी आनलाइन आवेदन में संशोधन करने तथा स्पष्ट किए गए तथ्यों की सटीकता का सत्यापन करने के लिए उनको पुन: इसे भेजने की इच्छा व्यक्त की।

I. 3 दिसंबर 2015 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आईएमसी ने 03 दिसंबर, 2015 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

II. पुष्टि के मामले

एजेंडा नंबर 01 : पुष्टि का मामला

वल्लारपदम, कोच्चि, केरल में मैसर्स कंटेनर कार्पोरेशन (कोंकोर) द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/21/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र संख्या ईएम7/कोंकोर/सीएफएस/2015 दिनांक 8 अक्टूबर 2015 में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के अधीन मंशा पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2015 के निर्गम की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 02 : पुष्टि का मामला

ग्राम जारपारा, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में लैंडमार्क सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस तथा बांडेड वेयरहाउस सुविधा की स्थापना (फाइल संख्या 16/29/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र संख्या डीपी/रेव/एनएए/346/13/14 दिनांक 25 फरवरी 2014 में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के अधीन मंशा पत्र दिनांक 17 दिसंबर 2015 के निर्गम की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 03 : पुष्टि का मामला

ग्राम डिघोडे, उड़ान तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स सर्वेश्वर लाजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना (फाइल संख्या 16/28/2010- इनफ्रा 1)

आईएमसी ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र संख्या डीएनए आदेश/उड़ान/महेश बाल्डी-271 (सीडीओ)/डीओसी दिनांक 21 जनवरी 2014 में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के अधीन मंशा पत्र दिनांक 21 दिसंबर 2015 के निर्गम की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 04 : पुष्टि का मामला

एग्जिम पार्क एरिया, विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/33/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र संख्या एस्टेट/एनसीटीडीसी/बीओटी/एसए/1574 दिनांक 3 नवंबर 2015 में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुपालन के अधीन मंशा पत्र दिनांक 28 जनवरी 2016 के निर्गम की पुष्टि की।

III. 03 दिसंबर, 2015 को आयोजित पिछली आईएमसी बैठक के आस्थगित प्रस्ताव (11)

एजेंडा नंबर 05 : (आस्थगित प्रस्ताव)

उड़ान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा सीएफएस एंड एग्रीपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/20/2014-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने विकासक से संपूर्ण भूमि के लिए भूमि प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र तथा साइट का लेआउट प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा। विकासक ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। सीबीईसी से अपनी टिप्पणियां यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 06 : (आस्थगित प्रस्ताव)

गट नंबर 55, ग्राम खर्नी, एमआईडीसी, तलोजा, जिला रायगढ़, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स एसबीडब्ल्यू लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजूदा सीएफएस में एक एएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 23/01/2015-इनफ्रा-1)

कंपनी की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से नीतिगत मुद्दे के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन के सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा एक व्यापक दृष्टिकोण

अपनाया जाएगा और यह कि इस बारे में शीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी। विकासक से 2000 वर्गमीटर से कम भूमि होने के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने की भी अपेक्षा है। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 07 : (आस्थगित प्रस्ताव)

76-77, ग्राम कापसहेड़ा, नई दिल्ली में मैसर्स कंटीनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 23/02/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से नीतिगत मुद्दे के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन के प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह कि इस बारे में शीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 08 : (आस्थगित प्रस्ताव)

क्रोमपेट, चेन्नई में मैसर्स सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 23/3/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से नीतिगत मुद्दे के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन के प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह कि इस बारे में शीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 09 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मरानायकनहल्ली, तालुक अनेकल, बेंगलुरू, कर्नाटक में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा रेल लिंक्ड आईसीडी की स्थापना (फाइल संख्या 16/14/2015-इनफ्रा-1)

विकासक से भूमि प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र का अंग्रेजी रूपांतरण भेजने के लिए कहा गया है। सीबीईसी से अपनी टिप्पणियां यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 10 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम बय्यावरम, कासिम कोट्टा मंडल, विशाखापट्टनम में मैसर्स विशाखा सीएफएस एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/20/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से क्षेत्राधिकार के संबंध में विकासक द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा इस मामले में अपनी टिप्पणियां यथाशीघ्र भेजने के लिए कहा गया है। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 11 : (आस्थगित प्रस्ताव)

दिघी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजूदा सीएफएस पर एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना (फाइल संख्या 23/04/2015-इनफ्रा-1)

बैठक में कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विकासक सभी अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि सीएलयू, गैर अधिग्रहण प्रमाण पत्र, गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र तथा फार्म 32 में निदेशकों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से नीतिगत मुद्दे के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन के प्रस्तावों की जांच की जा रही है तथा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह कि इस बारे में वाणिज्य विभाग को शीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 12 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम डिघोडे, तालुक उड़ान, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

विकासक सीएलयू का रूपांतरित संस्करण, पठनीय लेआउट, वचनपत्र आदि प्रस्तुत करेगा। पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी से इस मामले में अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित सीएफएस जेएनपीटी एरिया में आता है जहां पहले से ही 33 से अधिक सीएफएस क्रियाशील हैं और भीड़-भाड़ की समस्या हो रही है। आईएमसी ने इसे नोट किया। इस प्रकार सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 13 : (आस्थगित प्रस्ताव)

खापरी गांव, नागपुर, महाराष्ट्र के मिहान क्षेत्र में कोंकोर द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) / मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/26/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए कहा गया। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 14 : (आस्थगित प्रस्ताव)

पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स सप्लाई चेन लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 16/23/2015-इनफ्रा-I)

सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। पोत परिवहन मंत्रालय को संशोधित टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं। इस प्रकार सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 15 : (आस्थगित प्रस्ताव)

नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में मैसर्स कोंकोर द्वारा मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/31/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए कहा गया। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

IV. नए प्रस्ताव : (6 मामले)

एजेंडा नंबर 16 : (नया प्रस्ताव)

फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स एस वी मल्टी लाजीटेक द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1)

विकासक को फार्म 32 में निदेशकों का ब्यौरा प्रस्तुत करना है। सीबीईसी की टिप्पणियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां और विकासक से फार्म 32 प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 17 : (नया प्रस्ताव)

सर्वे नंबर 1/3 बी 3, पल्लीकट रोड, कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर, चेन्नई में मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/37/2015-इनफ्रा-1)

इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 18 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम थाटीपार्टीपालेम, वेंकटाचलम मंडल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में मैसर्स गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/01/2016-इनफ्रा-1)

इस मामले में पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक से कहा गया है कि ये कृष्णापट्टनम पोर्ट से एनओसी उपलब्ध कराएं। इस प्रकार पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 19 : (नया प्रस्ताव)

मदुरै, तमिलनाडु में मैसर्स कर्ण एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/02/2016-इनफ्रा-1)

इस मामले में सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 20 : (नया प्रस्ताव)

वीरमगांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/04/2016-इनफ्रा-1)

रेल मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी और रेल मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 21 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम भंबोली, तालुक खेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/38/2015-इनफ्रा-1)

इस मामले में सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

IV. एलओआई की अवधि बढ़ाने के मामले (27 मामले)

एजेंडा नंबर 22 :

ग्राम अनुपमपट्टू, चेन्नई में मैसर्स सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/09/2012-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 31 दिसंबर 2015 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक पांचवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 23 :

मिमिडीपल्ली, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में मैसर्स तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कार्पोरेशन द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/08/2009-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 31 दिसंबर 2015 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक चौथी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 24 :

पोवारखेड़ा, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश में मैसर्स केसर मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/16/2012-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से आईएमसी की बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया गया है क्योंकि आईसीडी क्रियाशील हो गया है। आईएमसी ने नोट किया कि आईसीडी क्रियाशील हो गया है।

एजेंडा नंबर 25 :

विशाखापट्टनम में मैसर्स श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/32/2011-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया है कि अपेक्षित अवसंरचना तैयार है। तथापि, धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आईएमसी ने 31 मार्च 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर 2016 तक पांचवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 26 :

ग्राम जट्टीपुर, समालखा, पानीपत, हरियाणा में मैसर्स कंटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/30/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 04 मार्च 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 04 सितंबर 2016 तक दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 27 :

औद्योगिक परिसर रानीगृथ, कश्मीर में जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/37/2005-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया है कि अवसंरचना तैयार है तथा वे सीमा शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करने के लिए क्षेत्राधिकारीय आयुक्त के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। आईएमसी ने 25 मार्च 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 25 सितंबर 2016 तक 8वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 28 :

कलमासेरी, कोच्चि, केरल में मैसर्स पेरियार केमिकल्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2011-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। चूंकि एलओआई की बढ़ाई गई अवधि 13 मार्च 2016 को समाप्त हो गई इसलिए आईएमसी ने 13 मार्च 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 13 जून 2016 तक तीसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 29 :

नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में विक्रम लाजिस्टिक्स लिमिटेड) द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2007-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 31 मार्च 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2016 तक चौथी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। ईडीआई कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा सुविधा को यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाएगा।

एजेंडा नंबर 30 :

ग्राम कठुवास एवं मंधान, जिला अलवर, राजस्थान में कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/35/2013-इनफ्रा-1)

कोंकोर के प्रतिनिधि ने बताया कि उनको एलओआई की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आईसीडी क्रियाशील हो चुका है। विकासक से आईसीडी के क्रियाशील स्टेटस की सूचना प्रदान करते हुए अपेक्षित अधिसूचनाओं के साथ वाणिज्य विभाग को संचार भेजने के लिए कहा गया है।

एजेंडा नंबर 31 :

ग्राम वैकाडू, चेन्नई में मैसर्स सुदर्शन लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/01/2011-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 31 मार्च 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2016 तक 8वीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। ईडीआई कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा सुविधा को यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाएगा।

एजेंडा नंबर 32 :

तिरुवोट्टियूर, चेन्नई में एन्नोर एक्सप्रेस हाई रोड पर मैसर्स एसटीपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/07/2013-इनफ्रा-1)

सीएफएस क्रियाशील हो गया है। आईएमसी ने नोट किया कि सीएफएस क्रियाशील हो गया है।

एजेंडा नंबर 33 :

चेन्नई पोर्ट पर मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/14/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 10 मार्च 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 9 मार्च 2017 तक

एलओआई की अवधि पहली बार इस शर्त के अधीन बढ़ाई कि विकासक एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करेगा। विकासक से आगे की कार्रवाई के लिए सीबीईसी को मामले के तथ्य उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

एजेंडा नंबर 34 :

ग्राम नंदीयंबकम, तिरुवल्लूर जिला, एन्नोर पोर्ट के पास, चेन्नई में मैसर्स एनओआर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/35/2011-इनफ्रा-1)

सीएफएस क्रियाशील हो गया है। आईएमसी ने नोट किया कि सीएफएस क्रियाशील हो गया है तथा विकासक से सीएफएस के क्रियाशील हो जाने का ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

एजेंडा नंबर 35 :

ग्राम इब्राहिमपुर, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्शिया इंडस्ट्रियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हब लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/11/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया है कि आईसीडी क्रियाशील हो गया है। विकासक से आईसीडी के क्रियाशील स्टेटस की सूचना प्रदान करते हुए अपेक्षित अधिसूचनाओं के साथ वाणिज्य विभाग को संचार भेजने के लिए कहा गया है।

एजेंडा नंबर 36 :

काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में मैसर्स काशीपुर इनफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/2012-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 31 मार्च 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर 2016 तक एलओआई की अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक अगला विस्तार, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने से पूर्व आईएमसी की अगली बैठक में परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि को पूरा करने की विस्तृत समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 37 :

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स इनोवेटिव कंटेनर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/05/2014-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 13 अप्रैल 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 12 अप्रैल 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आईएमसी की अगली बैठक में परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए विस्तृत समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 38 :

टंब, वलसाड, गुजरात में मैसर्स नवकार टर्मिनल्स द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/09/2014-इनफ्रा-I)

आईसीडी क्रियाशील हो गया है। आईएमसी ने नोट किया कि आईसीडी क्रियाशील हो गया है। विकासक से आईसीडी के क्रियाशील हो जाने के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

एजेंडा नंबर 39 :

मैसर्स कंटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (न्हावा शेवा) लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/24/2014-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 29 अप्रैल 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 29 अक्टूबर 2016 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आईएमसी की अगली बैठक में परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए विस्तृत समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 40 :

रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/24/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 9 अप्रैल 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 9 अप्रैल 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आईएमसी की अगली बैठक में परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए विस्तृत समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 41 :

मैसर्स टेक केयर लाजिस्टिक्स पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पनवेल, महाराष्ट्र में सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/33/013-इनफ्रा-1)

सीएफएस क्रियाशील हो गया है। आईएमसी ने नोट किया कि सीएफएस क्रियाशील हो गया है।

एजेंडा नंबर 42 :

हिंडोन सिटी, जिला करौली, राजस्थान में मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/12/2012-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक आठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 43 :

मैसर्स सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूरत, गुजरात में सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/19/2014-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 10 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 10 दिसंबर 2016 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 44 :

ग्राम काचरकानाहल्ली, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/07/2012-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2017 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा /

अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 45 :

मैसर्स पलरेचा इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स द्वारा अट्टिबल, अनेकल तालुक, बंगलौर में आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/04/2011-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक पांचवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 46 :

रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सास्था वेयरहाउसिंग लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 10 जून 2016 के बाद 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 10 सितंबर 2016 तक छठवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 47 :

मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/2010-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 30 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक सातवीं बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

एजेंडा नंबर 48 :

मैसर्स सिडकुल, कोंकोर द्वारा पंतनगर, उत्तराखंड में आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/36/2013-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 06 जून 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 06 दिसंबर 2016 तक चौथी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि विकासक समय विस्तार के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आईएमसी की अगली बैठक से पूर्व परियोजना को क्रियाशील बनाने के लिए अवसंरचना आदि का कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा / अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

नाम में परिवर्तन के मामले (02)

पूरक एजेंडा नंबर 49 : (नाम में परिवर्तन का मामला)

मैसर्स यूनाइटेड लीनियर एजेंसीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/20/1997-इनफ्रा-I, खंड-II)

आईएमसी ने कंपनी का नाम मैसर्स यूनाइटेड लीनियर एजेंसीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने के के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

पूरक एजेंडा नंबर 50 : (नाम में परिवर्तन का मामला)

वेश्वी, उड़ान, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में कंपनी के नाम तथा स्वामित्व को मैसर्स फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स टीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/03/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने कंपनी का नाम मैसर्स फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड से बदलकर मैसर्स टीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड करने तथा स्वामित्व में परिवर्तन के प्रस्ताव को पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियों की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान की, जिसके बाद अनुमोदन के लिए मामले को फाइल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

***